3

प्रकरण क्र0 A 1029 - II / 13

श्री

पेशी ता0 18-6-2014

समक्ष श्रीमान अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प , इन्दौर

Regd - 2029 - PBR/14

ए कालार आदि
5 प्रेम कालोनी इंदौर

अपीलार्थी

विरुद्ध

सुरेश सेठ आदि
17 - ए देवास रोड इंदौर

--- प्रत्यर्थी

आदेश 9 नियम 7 सी0 पी0 सी0 के अन्तर्गतआवेदन पत्र

[illegible]

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक Rest. 2029–PBR / 2014 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश
16–7–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक की ओर से पुर्नस्थापन आवेदन पत्र में इस न्यायालय में नियत पेशी दिनांक 18–6–2014 को उपस्थित नहीं होने का कारण माननीय उच्च न्यायालय में अन्य प्रकरण में व्यस्त होना दर्शाया गया है । मूल निगरानी प्रकरण में संलग्न अभिभाषक पत्र को देखने से स्पष्ट है कि उसमें श्री विभाष खेड़कर अभिभाषक के अतिरिक्त 3 अन्य अभिभाषक भी आवेदक की ओर से नियुक्त है । अतः प्रथमतः यदि श्री विभाष खेड़कर अभिभाषक माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में व्यस्त थे तब अन्य अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित हो सकते थे । इसके अतिरिक्त आवेदक स्वंय भी इस न्यायालय में उपस्थित हो सकता था । द्वितीय अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण इस न्यायालय मे प्रचलित प्रकरण मे उपस्थित नहीं होना अनुपस्थिति का समाधानकारक कारण नहीं है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में मूल निगरानी प्रकरण में अनुपस्थिति का समाधानकारक कारण नहीं पाये जाने से यह पुर्नस्थापन आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष